

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत

आर०एम० वाद सं०-07 / 2017-18

गंगाधर महतो वगैरह.....विक्रेता

बनाम

मेनका देवी.....क्रेता

27.12.22 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक-1308(ii)/रा० दिनांक-06.12.2022, एवं ज्ञापांक-1369(ii)/रा० दिनांक-17.12.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता 1.गंगाधर महतो पिता-स्व० सेवाराम महतो, 2.घासीराम महतो पिता-स्व० धनो महतो, 3.भुवनेश्वर महतो, 4.कुन्जेश्वर महतो दोनो पिता-स्व० विश्वनाथ महतो, 5.संतोष कुमार महतो पिता-स्व० योगेश्वर महतो, 6.देवगुण महतो वो 7.अलीचन्द्र महतो वो 8.मनोज महतो तीनों पिता-स्व० महेश्वर महतो, सभी ग्राम-सेरेंगहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्योधन महतो द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
सेरेंगहातु	सोनाहातु/	104	847	02 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।